

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, ललितपुर, महोबा एवं गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: 14 फरवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि फसलों के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019 की बाढ़ में आप द्वारा बाढ़ मेमोरेण्डम 2019 में कृषि फसलों की क्षति हेतु मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष बाढ़ से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिए निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **₹0 961009347/-**(**₹0 छियानबे करोड़ दस लाख नौ हजार तीन सौ सैतालिस मात्र**), प्रथम किस्त के रूप में कालम-4 में अंकित धनराशि को कालम-2 में अंकित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Table-1			
Agriculture Input Subsidy - for the Farmers having upto 2 hec. land			
(Rs)			
Sr.No.	Name of district	total demands of districts	sanctioned amount
1	2	3	4
1	Jhansi	2183930939	391360424
2	Lalitpur	1093931735	196032566
3	Mahoba	703718400	126106337
4	Gazipur	242285900	43417635
	G.Total	4223866974	756916962

Table-2

Agriculture Input Subsidy - for the Farmers more than 2 hec. land			
			(Rs)
Sr.No.	Name of district	total demands of districts	sanctioned amount
1	2	3	4
1	Jhansi	235116800	42132930
2	Lalitpur	552092000	98934886
3	Mahoba	344936800	61812674
4	Gazipur	6762800	1211895
	G.Total	1138908400	204092385

- (1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित प्रभावित कृषकों को 15 दिन में वितरित करते हुए उसकी सूचना शासन को अवगत करायी जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- (4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (5) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (7) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (8) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन

(8) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(11) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(12) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीया,

He rufekono
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या ११ (1)/एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी, तददिनांक ।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

14/2/2020

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-17/02/2020

प्रेषण संख्या:- 99
आवंटन आदेश संख्या:- 129-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	433493354 433493354	433493354 433493354
2	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	44629530 79629530	44629530 79629530
3	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	294967452 511530452	294967452 511530452
4	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	187919011 187919011	187919011 187919011
	योग	वर्तमान प्रगामी	961009347 1212572347	961009347 1212572347

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियानवे करोड़ दस लाख नौ हजार तीन सौ सैंतालीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ सैंतालीस

(उमेश कुमार उपाध्याय)
उमेश कुमार उपाध्याय
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
उ०प्र० शासन